प्रेस विज्ञप्ति
13.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय, भारत और वित्तीय अपराध आयोग, मॉरीशस ने वित्तीय अपराधों और धन शोधन से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत और वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस ने धन शोधन, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, संपत्ति वसूली और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण सहित वित्तीय अपराधों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मॉरीशस की राजकीय यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वित्तीय अपराध से निपटने हेतु प्रवर्तन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय खतरों से निपटने के लिए अधिक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करके, भारत वैश्विक वित्तीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि अवैध संपत्ति न्याय की पहुंच से परे न रहे। यह समझौता संपत्ति वसूली में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के भारत के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है, जैसा कि एफएटीएफ की सिफारिशों और अन्य वैश्विक धन शोधन निरोधी तंत्र के तहत इसकी प्रतिबद्धताओं में उल्लिखित है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के समय हुई चर्चा के दौरान, ईडी के निदेशक ने वित्तीय अपराध जांच में इस एजेंसी की निपुणता, धन शोधन के मुकदमों में इसकी उच्च दोषसिद्धि दर और संपत्ति का पता लगाने, अधिहरण और वसूली में इसके सफल रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कानूनी तंत्रों को रेखांकित किया- विशेषतः धारा 8(7) जो गैर-दोषी आधारित और धारा 8(8) जो विशेष पीएमएलए अदालतों को मुकदमों के लंबित रहने के दौरान भी संपत्ति के प्रत्याहरण को सक्षम करके पीड़ितों के हितों की रक्षा करने के अधिकार का प्रावधान करते हैं। ईडी ने विशेष रूप से बैंक धोखाधड़ी और पोंजी योजनाओं से जुड़े मामलों में बरामद संपत्तियों के निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आंतरिक दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं भी लागू की हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ईडी ने पीड़ितों को 2.6 बिलियन रुपये की संपत्ति का सफलतापूर्वक प्रत्याहरण किया है।

चर्चा के दौरान, निदेशक, ईडी और कार्यवाहक महानिदेशक, एफसीसी ने सीमा पार धन शोधन अपराधों का पता लगाने, जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए संयुक्त अभियानों की संभावनाओं का अन्वेषण किया। उन्होंने दोनों संगठनों के अधिकारियों के विनिमय कार्यक्रम, अनुभव साझाकरण और प्रशिक्षण व कौशल निर्माण के महत्व को भी रेखांकित किया। इस बात पर चर्चा हुई कि ईडी कैसे बेहतर डेटा अभिग्रहन व निष्कर्षण तथा अधिक उत्पादक डेटा विश्लेषण सुनिश्चित करने की दिशा में तकनीकी सहायता और अपने डिजिटल फोरेंसिक टूल और सर्वोत्तम कार्य-प्रणाली को साझा करके एफसीसी की सहायता कर सकता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग के विकल्प भी तलाशे गए।

ईडी और एफसीसी के बीच सहयोग से न केवल वित्तीय प्रवर्तन क्षमताएं मजबूत होंगी, बल्कि भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक और सुरक्षा सहयोग में भी योगदान मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराधों और परिसंपत्ति वसूली चुनौतियों के लिए प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।